



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(46)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/विविध/10/1802

दिनांक : 3/6/11

समस्त अधीक्षक,
मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला/सैटेलाईट/उपखंड चिकित्सालय

समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र


समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

परिपत्र संख्या 20

विषय – राज्य के अस्पतालों/चिकित्सालयों आदि के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड के निस्तारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग ने अस्पतालों का रिकॉर्ड संधारित करने के संबंध में एक परिपत्र (रिकॉर्ड संधारित करने के शिड्यूल सहित) जारी किया है। परिपत्र के अनुसार मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के ओपीडी एवं आईपीडी रोगियों का रिकॉर्ड संधारित करने के संबंध में लेख है कि कृपया अपने चिकित्सा संस्थान में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का Internal एवं External अंकेक्षण करवायें। अंकेक्षण के पश्चात् चिकित्सा संस्थान में ओपीडी एवं आईपीडी के अन्तर्गत आने वाले बीपीएल मरीजों व उनसे संबंधित रिकॉर्ड का संधारण शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.16(11)एम.ई./ग्रुप-1/97 (संलग्न) में उल्लेखित समय तक करवाकर समयावधि पश्चात् नियमानुसार उसे नष्ट (Weed Out) करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार



(बी.एन. शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. निजी सहायक, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
6. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि वो अपने स्तर से समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को परिपत्र की प्रति भिजवायें।
9. प्रभारी सर्वर रूम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये।
10. सलाहकार, (आई.टी.) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।


प्रमुख शासना सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग



Handwritten notes: "Kishna Kam", "A.R.H.M.", "राजस्थान सरकार", "विद्युत् सेवा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-1", "संभाग", "क्रमांक 168/1/संमई/ग्रुप-1/97", "25/1/97", "आज्ञा ::", "29/1/97", "29/1/97".

राज्य के अस्पतालों/विद्युत्सालयों/डिस्पेन्सरीज आदि के पुराने मेडिकल रेकार्ड के निस्तारण के लिये निदेशालय, विद्युत् सेवा एवं स्वास्थ्य के आदेश क्रमांक जी-20/असं.डी.0/59/464 दिनांक 8.6.59 द्वारा निदेश जारी किये गये थे।

पुराने निदेशों का पुर्नवालोकर कर नया शिड्यूल तैयार करने के लिये विभागीय आदेश सम संख्या दिनांक 5.11.97 द्वारा एक समीक्षा का गठन किया गया था।

उक्त समीक्षा की सिफारिश के आधार पर अस्पतालों के रेकार्ड का निस्तारण भौतव्य में संलग्न शिड्यूल के अनुसार किया जावेगा।

शिड्यूल में वर्णित अवधि की गणना संबंधित पत्रावली/रजिस्टर में हुए अधिसूचना/पत्र-संख्या/इन्फ्रान्ट्रि की तिथि से की जावेगी।

जिन मामलों में किसी न्यायालय में वाद/प्रकरण विचाराधीन हो, उक्त निस्तारण कार्य नहीं किया जा सकेगा।

रेकार्ड के निस्तारण से पूर्व संबंधित अस्पताल अधीक्षक/इन्चार्ज/प्रशासक अधिकारी जो भी सक्षम हो, का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

संलग्न: शिड्यूल

आज्ञा से, 29/1/97
जी 0 एल 0 वर्मा
शासन उप सचिव

- प्रौद्योगिकीय सुपनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-
- 1. समस्त निदेशक, विद्युत् सेवा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
- 2. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
- 3. समस्त अधीक्षक, समस्त वैश्यांगक विद्युत्सालय, राजस्थान।
- 4. समस्त प्रमुख/मुख्य विद्युत् सेवा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 5. विद्युत् सेवा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-2, 3 एवं 5 विभाग।
- 6. रक्षी पत्रावली।

29/1/97
सहायक शासन सचिव

SCHEDULE OF DISPOSAL OF HOSPITAL RECORDS

Name of record	Period for which to be preserved
A. Office records	
1. Correspondance file	5 years
2. Inspection book	5 years
3. Visitors book	5 years
4. Receipt and despatch Register	5 years
5. Office copies of charge list	10 years
6. Peon books	5 years
7. Parcel Register	5 years
8. Inspection Register for school boys	5 years
✓ 9. Ledger Drugs	5 years
✓ 10. Indents	5 years
11. Orders & Circulars	permanent
12. Letter from police & Courts, summons etc.	5 years
13. Doctors Duty Register	5 years
14. Copies of Medical Re-imbusement bills of Govt. servant	5 years
B. PATIENTS STATISTICS RECORDS	
1. Medical certificate book	10 years
2. Epidemic Registers	5 years
✓ 3. Outdoor patients Registers.	5 years
✓ 4. In patients Admission Register	5 years
5. Daily abstract Register	5 years
6. Operation Register	10 years
✓ 7. Indoor patient History Register	5 years
8. Yearly abstract Register	10 years
✓ 9. Bed Head Tickets	10 years (except M.L.C.)
✓ 10. Labour Room Register	20 years
✓ 11. Ward discharge Register	5 years
12. Office copies of monthly & annual returns	5 years
13. vaccination Register (for ARV & TT)	1 year
14. Diet Register	5 years
✓ 15. Treatment Register	5 years
✓ 16. Indoor patients Medical record	10 years
17. Day & Night record	3 years
✓ 18. In patient ward Death Register	5 years
✓ 19. Registrar & reports of various clinical procedures done in different departments	3 years

C. LABORATORY AND X-RAY RECORDS

- | | |
|---|---------|
| 1. Routine laboratory reports | 1 years |
| 2. Histopathology, cytology and other specific reports. | 5 years |
| 3. Register for various investigation done in laboratories and other departments. | 1 years |
| 4. Blood Donation Register | 1 years |
| 5. Blood Grouping and Cross matching register | 1 years |
| 6. X-ray reports and plates except for M.L.C. cases | 3 years |
| 7. Sonography, C.T. Scan plates and reports except for M.L.C. cases | 3 years |

D. MEDICOLEGAL RECORDS

- | | |
|--|----------|
| 1. Post mortem Register | 50 years |
| ✓ 2. Medicolegal register | 50 years |
| 3. Health Certificats | 5 years |
| 4. Certificate of Age & Fitness certificate and death for Re Employment | 50 years |
| ✓ 5. Medicolegal X-ray reports and plates, C.T. Scan & Sonography plates and reports | 50 years |

NOTE : For disposal of Accounts Recorded the Schedule prescribed in Appendix-6 of General Financial and Accounts rules (Part-1) should be followed.

Sc/+

(Sd/- S.R. Sankh)
 Director
 Health & Family Welfare
 Department

(Sd/- N.P. Singh)
 Director
 Health & Family Welfare
 Department

(Sd/- K. Saraswat)
 Director
 Health & Family Welfare
 Department